न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 23/2024

अपीलार्थी

हुसैनी मिशन ग्राम विकास संस्थान, वासन जरिये उसके प्राधिकृत अधिकारी श्री ईनायत हुसैन जैदी पुत्र श्री गयूर हुसैन जैदी, जाति– मुसलमान, निवासी– वासन, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, हाल निवास– मानपुर, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र मनरुप जी सुथार, जाति– सुथार, निवासी– दौलपुरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
(2) श्री नवाब खां पुत्र श्री नबु खां, जाति– मुसलमान, निवासी– वासन, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
(3) श्री सुल्तान खां पुत्र श्री नबु खां, जाति– मुसलमान, निवासी– वासन, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
(4) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, अपीलार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रत्यर्थी संख्याः 1 से 3 की ओर से
(3) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 4 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 28 मई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम वासन, पटवार हल्का वासन के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2201 दिनांक 22–11–2022 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्याः 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 (चार) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दवे ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे की ग्राम वासन, पटवार हल्का वासन, तहसील रेवदर में खसरा संख्या 855 की रकबा 08–11 बीघा तथा खसरा संख्या 858 रकबा 02–09 बीघा कुल 11 बीघा कृषि भूमि स्थित है। अपीलार्थी को उक्त कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा उसके तत्कालीन खातेदार नबु खां से वर्ष 2005 में तथा शेष हिस्सा उसके खातेदारान जल्फु खां व शराफत हुसैन से मुस्लिम विधि अनुसार हिबा में प्राप्त हुआ था। जिस पर हिबा के दिन से लगातार आज दिन तक अपीलार्थी बतौर खातेदार काबिज काश्त है। अपीलार्थी हुसैनी मिशन ग्राम विकास संस्थान द्वारा वर्षो से धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन किया जाता रहा है, संस्था के कार्य विस्तार एवं सदस्यों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रख इस संस्था को वर्ष 2006–07 में रजिस्टर्ड करवाया गया था जो अब एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन नं. क्रमांक

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

57/सिरोही/2006—07 दिनांक 01.03.2007 है। ईनायत हुसैन जैदी पुत्र श्री गयूर हुसैन जैदी, निवासी— वासन, हाल निवास— मानपुर, आबूरोड़ को संस्था ने अपनी ओर से यह अपील प्रस्तुत कर सम्पूर्ण कार्यवाही करने हेतु विधिवत प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 3 के पिता श्री नबु खां पुत्र श्री फते खां, धार्मिक प्रवृति का व्यक्ति था। दिनांक 19—2—2005 को जब मोहर्रम के पवित्र महिनें का 10 वां दिन था। इस्लाम के मानने वाले प्रतिवर्ष इस दिन इमाम हुसैन की याद में श्रद्धा से दान पुण्य करते है। नबु खां ने ग्राम वासन में अपने परिजनों के साथ ग्राम के आम लोगों व अपीलार्थी संस्था के पदाधिकारियों व सदस्यों के समक्ष, अपीलार्थी संस्था को उक्त कृषि भूमि का स्वेच्छा से हिबा (दान) कर उसका कब्जा अपीलार्थी संस्था को दे दिया था। अपीलार्थी संस्था ने हिबा स्वीकार कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। तब से अपीलार्थी संस्था ही नबु खां से हिबा (दान) में प्राप्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज है। उस समय अपीलार्थी संस्था पंजीकृत नही होने से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने विधि सिद्धान्तों विपरित अवैध रुप से अपीलार्थी संस्था के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही किया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 3 के मन में जमीनों के भाव बढ जाने से लालच उत्पन्न हो गया। साथ ही, अपीलार्थी संस्था का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने का अनुचित लाभ उठाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) व अन्य सहयोगियों से मिली भगत कर षडयन्त्र रच अपीलार्थी संस्था की हिबा में प्राप्त खातेदारी की भूमि को हडप करने के दुराशय से प्रत्यर्थी संख्या 2 से 3 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) से मिली भगत कर स्वर्गीय नबु खां द्वारा वर्ष 2005 की मोहर्रम पर अपीलार्थी संस्था को हिबा की जा चुकी कृषि भूमि में से सर्वप्रथम 1/9 हिस्सें की भूमि का फर्जी व कुटरचित दिनांक 22.10.2021 का दिनांकित एक दिखावटी अवैध व प्रभाव शून्य, बिना कब्जा एवं प्रतिफल के विक्रय विलेख संख्या 202103300101463, प्रत्यर्थी गजेन्द्र कुमार पुत्र मनरुप जी सुथार के पक्ष में नबु खां के पुत्र नवाब खां व सुल्तान खां ने संयुक्त रुप से निष्पादित कर पंजीकृत कराया था। इसी प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के अन्य परिजनों ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हिस्से को प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) से मिली भगत कर दिनांक 31—8—2022 का दिनांकित एक दिखावटी अवैध व प्रभाव शून्य, बिना कब्जा एवं प्रतिफल के विक्रय विलेख संख्या 202203300101674, प्रत्यर्थी भगवान सिंह पुत्र हनवन्तसिंह राजपूत के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत कराया था। तत्पश्चात् जुमे खां ने प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) से मिली भगत कर अपना दर्ज हिस्सा दिनांक 02—9—2022 को एक दिखावटी अवैध व प्रभाव शून्य, बिना कब्जा एवं प्रतिफल के विक्रय विलेख संख्या 202203300101684, भगवान सिंह के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत कराया था और अन्त में जाईदा बानों ने अपना दर्ज हिस्सा दिनांक 27—10—2022 का दिनांकित एक दिखावटी अवैध व प्रभाव शून्य, बिना कब्जा एवं प्रतिफल के विक्रय विलेख संख्या 202203300101849, भगवान सिंह के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत कराया था। अतः उक्त वर्णित भगवान सिंह के हक में कराये गये उक्त तीनों विक्रय विलेख अपीलार्थी को स्वर्गीय नबु खां से हिबा दान में प्राप्त खातेदारी एवं कब्जे की भूमि के अधिकारों पर कोई बन्धनकारी प्रभाव, अवैध, शून्य व प्रभावहीन होने से नही रखते है। प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) व भगवान सिंह ने अपीलार्थी को अन्धेरे में रख उसकी भूमि हडप करने हेतु विक्रय विलेख के निष्पादन के तुरन्त बाद नामान्तरकरण की कार्यवाही नही कर तीनों विक्रय विलेख चुपचाप अपने नाम करवा दिये जाने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) व भगवान सिंह ने एक साथ चुपचाप विवादित नामान्तरकरण संख्या 2201 व 2202 दिनांक 22—11—2022 को अपने अपने नाम दर्ज करवा दिये है। प्रत्यर्थीगण व उसके सहयोगियों ने आपसी षडयन्त्र रच अपीलार्थी संस्था को उसे हिबा दान में प्राप्त कृषि भूमि से महरुम करने हेतु अपीलार्थी संस्था का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाने के दुराशय से

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अपील के पद संख्या 4 में वर्णित फर्जी व कुटरचित अवैध व प्रभावहीन कुल 4 विक्रय विलेख निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिये। जबकि वे चारों विक्रय विलेख दिखावटी, बिना प्रतिफल, बिना कब्जा दिये कराये गये जो अपीलार्थी को प्राप्त विवादित कृषि भूमि में अपीलार्थी के हक अधिकारों पर कोई बन्धनकारी प्रभाव नही रखते है। प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) ने अपीलार्थी को हिबा में प्राप्त विवादित नामान्तरकरण में दर्ज कृषि भूमि को यह जानते हुए कि इसकी खातेदारी व कब्जा काश्त अपीलार्थी का है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 3 का कोई लेना देना नही है। अपीलार्थी संस्था की कृषि भूमि को हडप करने हेतु प्रत्यर्थी तहसीलदार, रेवदर से मिली भगत कर अवैध, शून्य व प्रभावहीन विक्रय विलेखों से विवादित भूमि पर कब्जा नही होते हुए भी विवादित नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा दिया। विवादित नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के पूर्व मौके पर कब्जे की कोई जांच नही की गई। मौके पर अपीलार्थी की अरण्डी की फसल खडी हुई थी सम्पूर्ण खसरा संख्या 855 व 858 के चारों और अपीलार्थी संस्था की तारबन्दी की हुई है। जिससे स्पष्ट है कि इस भूमि पर कभी भी प्रत्यर्थी संख्या 2 से 3 का कब्जा किसी भी रुप में नही रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) को यह भलीभांति ज्ञात था कि यह कृषि भूमि अपीलार्थी संस्था को नबु खां ने मुस्लिम धार्मिक कार्य कर्बला हेतु वर्ष 2005 में सार्वजनिक रुप से हिबा कर कब्जा दे दिया था, किन्तु फिर भी मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही होने का अनुचित लाभ उठाकर अन्य प्रत्यर्थीयों मिलीभगत कर मात्र कागजों में खरीद बेचान कर विवादित नामान्तरकरण भरवाया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिवीजन बेंच द्वारा सिविल अपील संख्या 1714/2005 अनवान हफीजा बीबी व अन्य बनाम शेख फरीद में पारित निर्णय दिनांक 05.5.2011 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मुस्लिमों में सम्पत्ति के दान (हिबा) हेतु यह तत्व आवश्यक है कि दान (हिबा) की घोषणा दान दाता द्वारा की जानी चाहिये एवं दान ग्रहिता द्वारा दान (हिबा) की गई सम्पति को स्वीकारना व सम्पति का कब्जा दिया जाना तथा मुस्लिम विधि में दान (हिबा) की वैधता हेतु उसका लिखित होना आवश्यक नही है। यदि मौखिक दान (हिबा) उक्त तीनों तत्वों की पूर्ति करते है तो दान (हिबा) पूर्ण हो जाता है और वह अनिरस्तनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजीन बेंच ने यह भी अभिनिर्धारित किया है दान (हिबा) को यदि वह लिखित है तो उसे पंजीकृत होना आवश्यक नही है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम वासन, पटवार हल्का वासन के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2201 दिनांक 22—11—2022 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजपुरोहित ने यह व्यक्त किया कि अपील में वर्णित भूमि अपीलार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की नहीं हैं बल्कि खसरा संख्या 855 व 858 की भूमि पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 3 व अन्य खातेदारान की होने से पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये प्रत्यर्थी संख्या 1(एक) व अन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदकर कब्जा, हक अधिकार प्राप्त कर इसका उपयोग उपभोग कर रहे है। अपीलार्थी नाम की कोई संस्था धार्मिक, सामाजिक व कल्याणकारी कार्य नहीं कर रही हैं तथा न ही ऐसी कोई संस्था पंजीकृत हैं। इनायत हुसैन को यह अपील कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किया हुआ नहीं हैं। नबु खा ने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का कभी भी अपीलार्थी संस्था को हिबा नहीं किया है, न ही नबु खा ने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का कब्जा अपीलार्थी संस्था को प्रदान किया है बल्कि अपील में वर्णित कृषि भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 3 के पुश्तैनी कृषि भूमि होने से इसका उपयोग उपभोग बतौर खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 3 के पूर्वज व उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 3 द्वारा किया जा रहा था जिसको पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये प्रत्यर्थी संख्या

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

1 (एक) को विक्रय कर कब्जा सुपूर्द कर दिया एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जा व हक अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 1(एक) का है। अपील में वर्णित कृषि भूमि के अपने हक हिस्से का प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 3 के पूर्वज नबु खा ने कभी न तो कोई मौखिक हिबा किया, न ही लिखत हिबा किया है ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 3 के हक अधिकार व खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने का कोई अधिकार राजस्व अधिकारियों को नहीं होने से इनके द्वारा अपीलार्थी संस्था के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया। पूर्व में भी अपीलार्थी संस्था द्वारा अन्य सहखातेदारान का फर्जी हिबानामा प्रस्तुत कर नामान्तरकरण का प्रयास किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 3, अपील में वर्णित कृषि भूमि के रेकर्डेड खातेदार, स्वामी व कब्जे काश्त हक अधिकार की होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 3 ने अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से बिना किसी भय, दबाव के उक्त कृषि भूमि का विक्रय प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) व अन्य व्यक्तियों को सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर किया है तथा उसका कब्जा भी क्रेतागण को सुपूर्द कर दिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1(एक) व अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने के बाद इसका कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण करवाकर मौके पर आबादी कोलोनी विकसित की है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 3 द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये अपने हक अधिकार की कृषि भूमि का विक्रय प्रत्यर्थी गजेन्द्र कुमार को किये जाने के बाद इन पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 3 की सहमति से नियमानुसार क्रेतागण के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 2201 दर्ज किया गया है तथा उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त करवाये बिना अपीलार्थी संस्था नामान्तरकरण को चुनौती देने के लिए कानूनन सक्षम नहीं है। प्रत्यर्थीगण को अपने हक अधिकार, कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि आराजी का विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होने व उनके द्वारा नियमानुसार प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय विलेख का निष्पादन करवाया गया है। इसके विपरित अपीलार्थी संस्था फर्जी संस्था है जो गरीब व्यक्तियों की कृषि भूमि को हडपने के लिये कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है। अपीलार्थी स्वयं ने इस अपील में यह स्वीकार किया है कि सस्था वर्ष 2007 में पंजीकृत की गई थी ऐसी स्थिति में नबु खां द्वारा वर्ष 2005 में संस्था के पक्ष में मौखिक हिबा किया जाना कतई संभव नहीं है परन्तु अपीलार्थी संस्था व उसके कर्ता धर्ता कायम हुसैन ने वर्तमान खरीददारो को ब्लैकमेल करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है तथा तहसीलदार रेवदर द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये नामान्तरकरण दर्ज किया गया होने के कारण उक्त विक्रय विलेख को अपास्त करवाये बिना अपीलार्थी संस्था किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। यदि उक्त कृषि आराजी अपीलार्थी को हिबा में प्राप्त हुई होती तो वर्ष 2005 के बाद अपीलार्थी वास्तव में उसका नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिए या खातेदारी घोषणा के लिए कार्यवाही अवश्य करता परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही अपीलार्थी संस्था द्वारा नहीं की गई। तहसीलदार रेवदर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2201 दर्ज करने से पूर्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है तथा खसरा संख्या 855 व 858 अलग–अलग खातेदारान से अलग–अलग लोगों द्वारा खरीद करने के बाद नामान्तरकरण दर्ज करवाकर आपसी सहमति से उक्त कृषि भूमि का बंटवारा कर इसका नियमानुसार आबादी रूपान्तरण करवाया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) ने मौके पर राजस्व रेकर्ड के अनुसार इसके खातेदार व्यक्तियों से पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये खरीद करने के बाद इस भूमि पर अपना कब्जा, हक अधिकार व स्वामित्व स्थापित कर नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण दर्ज करवाया है। यह कि अपीलार्थी संस्था द्वारा पूर्व में भी इसी खसरा संख्या 855 व 858 की कृषि भूमि के दर्ज नामान्तरकरण

...पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बाबत् एक अपील संख्या 24/2023, इस न्यायालय में ही प्रस्तुत की थी जिसे इस न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर दिनांक 13.08.2024 को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। जिससे उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत यह अपील भी प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 3 द्वारा उक्त कृषि भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) व अन्य लोगों को अलग अलग पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये खरीद की गई होने के कारण उक्त विक्रय विलेख को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किये जाने तक अपीलार्थी आलोच्य नामान्तरकरण को चुनौती देने के सक्षम नहीं है तथा इस हेतु अपीलार्थी संस्था द्वारा एक सिविल वाद माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरोही के न्यायालय में वाद संख्या 34/2023 प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में लम्बित है। अपीलार्थी संस्था द्वारा इसी कृषि भूमि के संबंध में एक घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सहायक कलेक्टर, रेवदर के न्यायालय में वाद संख्या 240/2023 प्रस्तुत किया था जिसे सहायक कलेक्टर न्यायालय, रेवदर द्वारा दिनांक 01.05.2025 को अस्वीकार कर खारिज किया गया है, इसलिए जब राजस्व न्यायालय द्वारा अपीलार्थी संस्था के हक में खातेदारी हक अधिकार की घोषणा नहीं की गई है जिससे अपीलार्थी की अपील काननून परिपोषणीय नही है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हिबानाम फर्जी, कुटरचित व अपंजीकृत दस्तावेज होने के कारण अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी भी प्रकार की खातेदारी अधिकारी अपीलार्थी संस्था को प्राप्त नही हो सकते है, न ही ऐसे फर्जी, कुटरचित व अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अपीलार्थी संस्था के पक्ष में नामान्तरकरण हो सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण, पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर होकर स्वीकृत हुआ है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री नवाब खां पुत्र श्री नबू खां व श्री सुल्तान खां पुत्र श्री नबु खां, जाति– मुसलमान, निवासी– वासन, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख क्रम संख्या 202103300101463 दिनांक 22–10–2021 से ग्राम वासन, पटवार हल्का वासन के खसरा संख्या 855 रकबा 8.11 बीघा व खसरा संख्या 858 रकबा 2.09 बीघा भूमि में दर्ज अपने हक हिस्से की भूमि का विक्रय, श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र मनरुप जी, जाति– सुथार, निवासी– दौलपुरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही को किया जाने पर पटवारी हल्का, वासन द्वारा उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर उक्त श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र मनरुप जी, जाति– सुथार, निवासी– दौलपुरा के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 2201 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 22–11–2022 को स्वीकृत किया गया है।

चूंकि उक्त नामान्तरकरण, पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसरण में दायर होकर स्वीकृत हुआ है एवं उक्त विक्रय विलेख को किसी भी न्यायालय द्वारा शून्य एवं प्रभावहीन घोषित नही किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि हुसैनी मिशन ग्राम विकास संस्थान, ग्राम वासन, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही की ओर से तसीलदार, रेवदर को इस अपील में अंकित हिबा (दान) के आधार पर नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2023 अर्न्तगत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित आदेश दिनांक 05–4–2023 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि के संबंध में सहायक कलेक्टर, रेवदर के न्यायालय में भी एक राजस्व वाद, धारा

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

88, 89, 91, 92 ए, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रत्यर्थीगण व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत किया था, जिस राजस्व वाद संख्या 240/2023 में न्यायालय सहायक कलेक्टर, रेवदर द्वारा पारित आदेश व डिक्री दिनांक 01–5–2025 के अनुसार वादी का वाद खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में, उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के प्रभाव व अस्तित्व में रहते हुए इस पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार दायर व स्वीकृत नामान्तरकरण विधि अनुरुप है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28 मई, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला ... सिरोही